779 cases received are pending as on 31-3-95. All these eight pending cases pertain to Jaipur.

Survey of Forest research in Andhra Pradesh

3538. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Forest Survey of India has been conducting surveys of forest resources in Andhra Pradesh; and

(b) what is the status of forest resources in the Eastern Ghats in Andhra Pradesh, according to the latests FSI survey?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) (a) Yes, Sir.

(b) The district-wise forest cover in the Eastern Ghats of Andhra Phadesh as reported in the State of Forest Report, 1993 of Forest Survey of India is as under:—

S. No.	District	Forest cover (in sq. km)
1.	Chittoor	1317
2.	Godawari East	3626
3.	Godawari West	846
4.	Krishna	284
5.	Guntur	6386
6.	Nellore	
7.	Parkaam	
8.	Kurnool	
9.	Srikakulum	7491
10.	Vishakhapatnam	
11.	Vizianagaram	

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी की जांच करने के लिये प्रयोगशालाओं की स्थापना

3539. **श्री अजीत जोगी :**
श्री एस. एस. सुरजेवाला :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य-प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्रत्येक जिले में पानी की जांच करने के लिए प्रयोग-शालाओं की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव

प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का समर्थन करने हेतु कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में 63 तथा मध्य प्रदेश में 49 जल परीक्षण प्रयोगशालायें मंजूर की गई हैं। देश के लिए 310 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गई हैं।

केलो नदी परियोजना

3540. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिला में बहुद्देशीय "केलो नदी परियोजना" के निर्माण हेतु "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करने के संबंध में राज्य सरकार का प्रस्ताव मंत्रालय को किस तारीख को प्राप्त हुआ था और उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) इस प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कितने हैक्टयर वन क्षेत्र के पानी में डूब जाने की संभावना है और इसके एवज में मंत्रालय क्षतिपूर्ति के रूप में कितने क्षेत्र में वनरोपण की मांग कर रहा है तथा इस संबंध में राज्य सरकार का क्या कहना है ;

(ग) मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए अक्तूबर, 1994 तक कौन कौन सी शेष आपत्तियां निराकरण हेतु लम्बित पड़ी थी; और

(घ) मंत्रालय की आपत्तियों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा और राज्य सरकार की पहल एवं कार्यवाही पर मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1994 तक की गई कार्यवाही और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने रायगढ़ जिले में केलो सिंचाई परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 825 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए दिनांक 9-11-1989 के अपने पत्र के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार ने उपयोग में लाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के दुगनी अवक्रमित वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव की जांच करने के बाद राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उतनी ही वनेतर भूमि का पता लगाए। दुगुनी अवक्रमित भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें 22-2-93 को लिखा गया था कि यदि राज्य में कहीं भी क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उतनी ही वनेतर वन भूमि उपलब्ध न हो तो राज्य के मुख्य सचिव से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस बारे में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े न भेजे जाने के कारण केलो परियोजना को 1990 में पर्यावरणीय दृष्टि से नामंजूर कर दिया गया था। तत्पश्चात्, प्रस्ताव के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए परियोजना प्राधिकारियों से फरवरी, 1991 में कतिपय सूचना प्राप्त हुई थी। इन ब्यौरों की जांच करने के पश्चात् दिनांक 19-3-1991 को परियोजना प्राधिकारियों को लिखा गया था कि वे अतिरिक्त सूचना भेजें। यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

"Use of Hindi in the Ministry of Environment and Forests"

3541. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether his Ministry has chalked out any plans to promote the use of Hindi in its administration and other wings;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and